

छत्तीसगढ़ शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर-492001

// आदेश //

रायपुर, दिनांक 1/8/2012

क्रमांक : एफ-9-25/2012/34-2/2:-<sup>1555</sup> राज्य शासन एतद् द्वारा भारत सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नई दिल्ली के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत राज्य एवं जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की संशोधित मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधान अनुसार प्रदेश स्तरीय योजना स्वीकृति समिति, छत्तीसगढ़ State Level Scheme Sanctioning Committee, Chhattisgarh (SLSSC) का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| 1. सचिव, छ.ग.शासन, लो.स्वा.यां. विभाग                               | - | अध्यक्ष    |
| 2. प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग                 | - | सदस्य      |
| 3. प्रमुख अभियंता, लो.स्वा.यां. वि. छ.ग.रायपुर                      | - | सदस्य सचिव |
| 4. प्रतिनिधि, भारत सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, दिल्ली          | - | सदस्य      |
| 5. रीजनल डायरेक्टर केन्द्रिय भू-जल बोर्ड, छत्तीसगढ़ रायपुर।         | - | सदस्य      |
| 6. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर                          | - | सदस्य      |
| 7. संचालक, सर्व शिक्षा अभियान                                       | - | सदस्य      |
| 8. संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन                         | - | सदस्य      |
| 9. संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग                                | - | सदस्य      |
| 10. प्रतिनिधि, राज्य तकनीकी संस्थान (STA),                          | - | सदस्य      |
| 11. तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य/राष्ट्रीय स्तर                           | - | सदस्य      |
| 12. संचालक, राज्य जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन (WSSO)                | - | सदस्य      |
| 13. मुख्य अभियंता, (प्लानिंग) लो.स्वा.यां.वि.कार्या. प्रमुख अभियंता | - | सदस्य      |
| 14. उप सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय,                       | - | सदस्य      |
| 15. संचालक, संचार एवं क्षमता विकास ईकाई, छ.ग.रायपुर                 | - | सदस्य      |

उक्त समिति भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के मार्गदर्शिका के अनुसार कार्य करेगी।

TS/AS/OS/FS/MS/ST/SC/CL/VA/WH/CH

2/8/12

2/8

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(एच.पी. किण्डो)

विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

-2-

पृ० क्रमांक : एफ-९-२५ / २०१२ / ३४-२ / २

रायपुर, दिनांक / ७ / २०१२

प्रतिलिपि:-

सर्व संबंधितों को श्री .....

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग